राजस्थान सरकार
पर्यावरण विभाग
कमरा न. 8325, उत्तरी–पश्चिमी खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर
फोन : 0141–2227669, 2227838

क्रमांक प.16 (1)(4)/रा.गां.प.स.पु.–15/पर्या./2014 जयपुर, दिनांक 27 NOV 2014

परिपत्र

राज्य सरकार ने वर्ष 2012 से प्रति वर्ष पर्यावरण संरक्षण/सुधार/ पर्यावरण अधिनियम/नियमों की अनुपालना के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राजस्थान के नागरिकों /संगठनों/ नगर पालिका/नगर निगम/नगर परिषद/ को राज्य स्तरीय **"राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार"** प्रदान किये जाने का निर्णय लिया है। वर्ष 2015 के लिये "राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार" आगामी विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिनांक 05 जून, 2015 को वितरित किये जायेगें।

पुरस्कार का विवरण निम्न प्रकार है:–

1. पुरस्कार राशि रुपये 5.00 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी --संगठन/संस्था को प्रदान किया जायेगा, जिसने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य संपादित किया हो।

2. पुरस्कार राशि रुपये 3.00 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी –नगर पालिका/नगर निगम को प्रदान किया जायेगा, जिसने पर्यावरण अधिनियम/नियमों की अनुपालना के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य संपादित किया हो।
3. पुरस्कार राशि रुपये 2.00 लाख एवं रजत कमल ट्रॉफी –व्यक्ति वर्ग को प्रदान किया जायेगा, जिसने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य संपादित किया हो।

पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 10 वर्षो का कार्यानुभव रखने वाले किसी भी राजस्थान के नागरिक (अपने अनुभव के समर्थन मे प्रकाशित /क्षेत्र सम्बन्धी कार्य साक्ष्य के रूप में दिया गया हो)/पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्यरत कम से कम पांच वर्षो के अनुभव वाले गैर–सरकारी संगठन राजस्थान के वन व पर्यावरण विभाग/राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल/जिला कलेक्टर द्वारा पुरस्कार हेतु प्रस्तावित किया जा सकता है। नगर--पालिका/ नगर परिषद/ नगर निगम को दिये जाने वाले पुरस्कार हेतु निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग पांच नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम के नाम प्रस्तावित करेगें।

नामांकन हेतु पात्रता के कार्य क्षेत्र

(क) प्रदूषण की रोकथाम
(ख) प्राकृतिक स्त्रोतों का संरक्षण
(ग) क्षरणीय स्त्रोतों का समुचित उपयोग
(घ) पर्यावरणीय योजना व प्रबन्धन
(ड़) पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण
(च) पर्यावरण सुधार/संवर्द्धन के क्षेत्र में किया गया उत्कृष्ट फील्ड/अनुसंधान कार्य, जैसे वनीकरण, भूमि की पुर्न स्थापना, जल उपचार वायु शुद्धीकरण इत्यादि।
(छ) पर्यावरणीय शिक्षा
(ज) पर्यावरणीय विषयों के प्रति जागरूकता संबंधि कार्य
(झ) पर्यावरणीय अधिनियम/नियमों का क्रियान्वयन

पुनरावृत्ति, नवीनता/सृजनात्मक ग्रास रूट स्तर के संगठन स्थापित करने के लिए, मृदा और नमी संरक्षण कार्य और अन्य संबंधित कार्यकलापों, लक्षित समूहों जैसे कि महिलाओं/समाज के कमजोर वर्गों अगम्य/दूरस्थ क्षेत्रों में लोगों व्यक्तिगत साहस के कार्यों को शामिल करते हुए कर्तव्यों के अपेक्षित दायित्वों, के अलावा किए गए कार्यों, नियोजित संसाधनों के संबंध में वास्तविक प्रभाव, मूल्य सृजन करने वाली शैक्षिक और जागरूकता गतिविधियों जैसे मानदण्डों के आधार पर पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरणीय अधिनियमों / नियमों की अनुपालना/क्रियान्वयन के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए नामांकनों पर विचार और उनका मूल्यांकन किया जाएगा।

नामांकन निम्न प्रपत्र में प्रस्तावित किया जाना है:–

1. नामित व्यक्ति/संगठन का नाम और पता :
2. प्रस्तावक का नाम और पता :
3. नामित व्यक्ति की जन्म तिथि/आयु (व्यक्ति के मामले में)
4. नामित व्यक्ति का वर्तमान व्यवसाय (व्यक्ति के मामले में)
5. संगठन का प्रकार (संगठन के मामले में)
6. विगत में प्राप्त पुरस्कार का विवरण (यदि कोई हों)
7. प्रस्तावित नामित व्यक्ति/संगठन द्वारा किये गये महत्त्वपूर्ण योगदान :
8. नामांकन के वर्ष से पिछले 3 वर्षो के दौरान प्राप्त निधियों का विवरण :

स्व–नामांकनों एवं संबंधियों द्वारा प्रस्तावित नामांकनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार–2015 के लिए निर्धारित प्रपत्र में सभी दृष्टि से पूर्ण नामांकनों को **निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, पर्यावरण विभाग,कमरा न. 8325, उत्तरी–पश्चिमी खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर** को भेजा जावे। नामांकनों के लिफाफों पर राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2015 हेतु नामांकन लिखा जावे।

नामांकनों की प्राप्ति हेतु अंतिम तारीख 31 दिसम्बर, 2014 है।

विस्तृत विवरण के लिए कृपया विभाग की वेबसाइट **environment.rajasthan.gov.in** देखें।

राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार–2015 के लिए समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाकर आवेदन आमंत्रित किये गये है, जो दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका एवं टाईम्स ऑफ इंडिया के दिनांक 20.11.2014 के अंक में प्रकाशित हुए है।

अतः राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार विनियम की प्रति संलग्न कर आप से अनुरोध है कि अपने स्तर से इसका व्यापक प्रचार–प्रसार करा उपरोक्त वर्णित पुरस्कारों हेतु उपयुक्त एवं पात्र व्यक्ति/संस्था / संगठन नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम को आवेदन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सक्षम अधिकारी के माध्यम से भिजवाने हेतु प्रेरित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करावें।

(योगेन्द्र कुमार दक)
शासन सचिव, पर्यावरण

F:\Rajeev. prepatra.doc

क्रमांक प.16 (1)(4)/रा.गां.प.स.पु.–15/पर्या./2014 जयपुर, दिनांक 27 NOV 2014

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1. अति. मुख्य सचिव, जल संसाधन/पंचायतीराज/नगरीय विकास, आवास एवं स्थानीय निकाय विभाग
2. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, वन/ऊर्जा/स्थानीय निकाय स्वायत्त शासन विभाग
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर
4. समस्त संभागीय आयुक्त
5. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल/ जैवविविधता बोर्ड
6. समस्त जिला कलेक्टर
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
पर्यावरण